संख्या-1191/14-2-2017-800(181)/2016

विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी

विषय- जनपद बाराबंकी में एस्सार ऑयल लि0, ए-5 सेक्टर-3 नोएडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम दादरा तहसील नवाबगंज के गाटा संख्या-909 एन0एच0-28 लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी040-41 के मध्य बांयी पटरी पर रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण कार्य हेतु 0.167175 हे0 संरक्षित वन भूमि भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2386/11-सी-एफपी/यू0पी/अदर्स/ 12699/2015, दिनांक 23-5-2017 तत्कम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/06/ 04/2017/एफसी/560, दिनांक 21-3-2017 तथा विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/06/04/2017/ एफसी/54, दिनांक 23-5-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाराबंकी में एस्सार ऑयल लि0, ए-5 सेक्टर-3 नोएडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम दादरा तहसील नवाबगंज के गाटा संख्या-909 एन0एच0-28 लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी040-41 के मध्य बांयी पटरी पर रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण कार्य हेतु 0.167175 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबन्धों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा विज्ञप्ति (Notification) निर्गत की जाती हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-
भा0स0 रखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0
भा0स0 बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं
भा0सं0 को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(5) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट़टी/पत्थर
भा0सं0 मिट़टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(6) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
भा0स0

(7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई
भा0स0

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी
भा0स0 प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा।
भा0स0 जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, बैकवर्ड और फारवर्ड बियरिंग एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास के बीच की (733;60 वर्गमी0) भूमि का
भा0स0 उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त अभिलेखों को भाग-1 के
भा0स0 कालम- K पर अपलोड करेगा।

(12) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पेट्रोल पम्प के बारे में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णरूपेण
भा0स0 पालन किया जायेगा।

(13) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन
भा0स0 होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(14) प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-
भा0स0 दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।

(15) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(16) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा जमा की जायेगी।

(17) उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(18) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति

यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी

(19) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

shasanadesh.up.nic.in/gc/intra

(20) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(21) प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(22) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(23) से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(24) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(25) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या- 1191(1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(3) वन संरक्षक सरयू वृत्त, फैजाबाद।
(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी
(5)- डिवीजनल मैनेजर,(यू0पी0-सी) एस्सार ऑयल लि0 315, 316 टी0सी0/जी'2/2 व टीसी/जी-5 तृतीय तल साइबर हाइटस विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
(6) निजी सचिव प्रमुख सचिव वन एवं वन्यजीव विभाग उ0प्र0शासन।
(7)- गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra